

11/04/18

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उप०। स्थगन
आदेश की अवधि आगामी पेशी तक बढ़ाई
जाकर पत्रावली वास्ते जवाब का अवसर
दिया जाकर दिनांक 8/5/18 को पेश हो

8/5/18

पत्रावली CPC की धारा 89 के तहत लोक अदालत व
न्यायाधीशों की जाती है। पत्रावली दिनांक 8/5/18

दिनांक 17/5/18

दोष

प्रस्तुत हो, तदुत्तर सभी पक्षों को मिलेंगे।

सहायक क्लर्क (SCC)

17.5.18

पत्रावली आज शजरव लोक अदालत न्यायाधीशों
द्वारा 2018 के कैम्प में दोष में पेश हुई।
चूंकि मूलवाद बार्दा द्वारा विरोध का प्रयास
है। जब इस आवेदन में आगामी कार्य बार्दा
का कोई औचित्य नहीं रहा। किताब के विषय
में आगामी कार्य बार्दा द्वारा स्तर पर स्थापित
का न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश
दि. 28/10/14 को निरस्त किया जाता है।
पत्रावली के लिए शुभारंभ दोष दायित्व पर पर

सहायक क्लर्क

चौहटन